

ई-निविदा दस्तावेज

दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद (छ.ग.) 1250 टीडीएस शक्कर कारखाना के लिए विभिन्न रिपेयरिंग/मेंटेनेंस एवं एएमसी कार्यों आदि हेतु द्वितीय ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

द्वितीय ई-निविदा संख्या -199829

निविदा दिनांक -06/10/2026



कार्यालय, प्रबंध संचालक
दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित
बालोद (छ.ग.)

निविदा शुल्क - 1000/-

निविदा दस्तावेज संख्या:

आवश्यकताओं का विवरण:

दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित

बालोद (छ.ग.) 1250 मि. टन गन्ना पेराई प्रतिदिन क्षमता का चीनी उत्पादक कारखाना है। आवश्यकता के अनुसार निविदा को अंतिम रूप देने के बाद सभी मशीनरों की मरम्मत/रखरखाव संबंधी सेवाओं की आपूर्ति प्रबंध संचालक या उनके अधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार करनी होगी।

नोट:-

1. यह निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।
2. दस्तावेज में 33 पृष्ठ हैं।
3. तकनीकी और वाणिज्यिक भाग के सभी पृष्ठों पर केवल निर्माता/अधिकृत व्यक्ति या विक्रेता/आपूर्तिकर्ता के प्रतिनिधि द्वारा ही हस्ताक्षर किया जाना है।
4. तकनीकी और वाणिज्यिक भाग पूरी तरह से भरकर मूल रूप से अलग-अलग आनलाईन जमा किया जाना होगा।
5. जहां आवश्यक हो पृथक से दस्तावेज संलग्न करें।

प्रबंध संचालक,

दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित

बालोद (छ.ग.)

स्वीकृति/पावती

निविदाकार का नाम एवं पता

विषय सूची

1. निविदा सूचना
2. निविदा जानकारी.....
3. निविदा प्रस्तुत करना.....
4. जोखिम धन जमा (ईएमडी).....
5. कार्य/आपूर्ति का दायरा
6. सामान्य नियम और शर्तें
7. विशेष नियम और शर्तें
8. भुगतान खंड.....
9. वारंटी और गारंटी
10. अनुबंध का प्रपत्र
11. निविदा दर वैधता पत्र.....

भाग- I. ईएमडी (भाग-ए).....

भाग- II. तकनीकी भाग (भाग -बी).....

भाग- III. वाणिज्यिक भाग (भाग -सी).....

भाग- I निविदा विवरण

1. निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक-199829 / DMSSKM/P.O./BALOD

दिनांक-06 / 10 / 2026

प्रबंध संचालक, दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद (छ.ग.) के द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम एवं क्रय नियमों के तहत शक्कर कारखानों के इंजीनियरिंग मर्दों एवं मशीनों की मरम्मत/रखरखाव संबंधी सेवाओं के कार्य हेतु ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा में भाग लेने वाले विक्रेता/आपूर्तिकर्ता वाणिज्यिक और तकनीकी भाग से संबंधित सभी कागजातों को संलग्न करना अनिवार्य है।

निविदाकार को वाणिज्यिक/तकनीकी भाग जमा करते समय निम्नलिखित सभी पूर्व शर्तों को पूरा करना होगा और इन शर्तों को पूरा करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

1. निविदाकार सामग्री की आपूर्ति/सेवाकार्य हेतु निविदा के सभी तीनों भागों को भरकर ऑनलाईन जमा करना होगा। अस्पष्ट व अधूरे भरे हुए निविदा फार्म को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. निविदा में अधिकृत सामग्री को अधिकृत विक्रेता/सामग्री निर्माता के द्वारा ही क्रय किया जाएगा। निविदाकार द्वारा अधिकृत विक्रय प्रमाण पत्र/निर्माता का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
3. निविदा में जिन सामग्रियों में अधिकृत विक्रेता/निर्माता फर्म से क्रय किये जाने की अनिवार्यता नहीं है, ऐसे निविदा में शामिल सामग्रियों हेतु अधिकृत विक्रेता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
4. निविदा में पात्र निविदाकार को दिये गये कार्य आदेश में उल्लेखित समयावधि में ही सामग्री की आपूर्ति/सेवाकार्य करनी होगी। समयावधि में सामग्री के आपूर्ति नहीं करने पर प्रबंधन द्वारा जुर्माना लगाया जायेगा तथा समयावधि के बाद सामग्री स्वीकार करने के लिए प्रबंधन बाध्य नहीं होगा।

निविदा दस्तावेज को निविदाकार, निविदा शुल्क राशि रुपये 1311/- (1000/- + 311/- ऑनलाईन माध्यम से दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद के पक्ष में **दिनांक 24/09/2026 को रात्रि 08:00 बजे से 06/10/2026 को दोपहर 01:00 बजे तक** जमा कर प्राप्त कर सकता है। निविदा शुल्क राशि जमा होने के बाद वापस नहीं किया जायेगा। निविदा दस्तावेज वेबसाइट: www.eproc.cgstate.gov.in से डाउनलोड/अपलोड किया जाएगा।

ई-निविदाएं **दिनांक 06/10/2026 को दोपहर 01:00 बजे तक** प्राप्त की जाएंगी तथा तकनीकी भाग एवं वाणिज्यिक भाग **06/10/2026 को दोपहर 02:00 बजे** खोली जाएगी। प्रत्येक निविदा के साथ उद्धृत किए जा रहे कार्यों/सामग्रियों के कुल मूल्य का 3% ईएमडी (जोखिम धन जमा राशि) जमा करनी होगी।

प्रबंध संचालक,

दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित

बालोद (छ.ग.)

2. निविदा जानकारी

1. निविदा सूचना क्रमांक-199829/DMSSKM/P.O./BALOD दिनांक-06/10/2026
2. निविदा दस्तावेज की लागत : 1311/-
3. निविदा दस्तावेज की तिथि : 24/09/2026 को रात्रि 08:00 बजे से 06/10/2026 को दोपहर 01:00 बजे तक
4. निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि और समय: 06/10/2026 को दोपहर 01:00 बजे
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : 06/10/2026 दोपहर 02:00 बजे।
6. निविदा खोलने का स्थान:- कार्यालय, प्रबंध संचालक दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद (छ.ग.)
7. सभी पत्राचार के लिए पता : कार्यालय, प्रबंध संचालक दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद (छ.ग.)

3. निविदा प्रस्तुत करना

3.1 निविदा दस्तावेज की सामग्री

भाग – I ईएमडी (जोखिम धन जमा राशि) जमा करने से संबंधित दस्तावेज जमा किया जाना होगा।

भाग – II तकनीकी भाग (तकनीकी भाग मूल रूप में भरा और जमा किया जाना होगा, अपूर्ण व अस्पष्ट भरने पर निविदा अस्वीकृत की जायेगी)

भाग – III वाणिज्यिक भाग (वाणिज्यिक भाग मूल रूप में भरा और जमा किया जाना होगा, अपूर्ण व अस्पष्ट भरने पर निविदा अस्वीकृत की जायेगी)

3.2 ई-निविदा तैयार करने के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं:-

- (1) ईएमडी (जोखिम धन जमा राशि) के दस्तावेज को अपलोड करना होगा।
- (2) निर्धारित तकनीकी भाग को मूल रूप से भरकर अपलोड करना होगा।
- (3) निर्धारित वाणिज्यिक भाग मूल रूप से भर कर अपलोड करना होगा।

3.3 ई-निविदा जमा करने का तरीका

3.3.1 ई-निविदा प्रकाशन में दिये गये नियत तिथि और निर्धारित समय तक **eproc.cgstaste.gov.in** वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

3.3.2 निविदाकारों से अनुरोध है कि निविदा को समय पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

3.3.3 निर्धारित तिथि और समय के बाद अपलोड की गई निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

3.3.4 द्वितीय ई-निविदा होने पर मानदंडों के अनुसार प्रति सामग्री/सेवा पर न्यूनतम 2 पात्र निविदाकार का होना आवश्यक हैं।

3.3.5 ईएमडी राशि (जोखिम धन जमा राशि) कुल निविदा राशि का 3% जमा करना आवश्यक है।

3.4 ई-निविदा दस्तावेजों की जांच सूची

जांच सूची निविदाकारों को ई-निविदा जमा करते समय सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को संलग्न करने में मदद करेगी। (निविदाकार जो क्रं. सं. 3.4.2 में दी गई तकनीकी में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो वाणिज्यिक बोली नहीं खोली जाएगी)।

3.4.1 जोखिम धन जमा राशि (भाग संख्या-अ)

भाग संख्या सं.-अ में आरटीजीएस/एनईएफटी अथवा संस्था में पूर्व में जमा राशि के रूप में जमा की गई ईएमडी जमा राशि से संबंधित दस्तावेज को संलग्न करना अनिवार्य है।

3.4.2 तकनीकी भाग (भाग संख्या-ब)

- 1) तकनीकी भाग केवल निर्धारित प्रारूप में स्पष्ट भरी जानी चाहिए और मुहर के साथ हस्ताक्षर करना होगा।
- 2) जीएसटीआईएन संख्या प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- 3) निविदाकार को सामग्री का लिखित गारंटी/वारंटी एवं सर्विसिंग का कार्य समय पर पूरा होने/सर्विसिंग कार्य के पेराई सीजन के लिए गारंटी/वारंटी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 4) निविदाकार को कुल निविदा राशि एवं निविदा राशि का 3 प्रतिशत अमानत राशि को तकनीकी भाग में लिखना होगा।
- 5) अनुबंध का प्रपत्र (निविदाकार द्वारा लेटर हेड पर भरा जाना है) क्रमांक 11 के प्रारूप के अनुसार बोली लगाने वाले को लिखित पत्र संलग्न करना होगा
- 6) निविदा की दरें निविदा स्वीकृति की तारीख से 12 महीने तक वैध हैं।
- 7) फर्म द्वारा प्रस्तुत दर की वैधता को आवश्यकता अनुसार बढ़ाने का अधिकार प्रबंधन के पास सुरक्षित रहेगा।
- 8) निविदाकार द्वारा पूर्व में जमा ईएमडी राशि को समायोजित कर शेष अमानत राशि जमा करना अनिवार्य है।
- 9) निविदाकार को चीनी संयंत्र का अनुभव प्रमाण पत्र या खरीद/आपूर्ति कार्य आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 10) निर्माता/अधिकृत विक्रेता/सेवा प्रदाता को वरीयता दी जाएगी।
- 11) निर्माता/अधिकृत विक्रेता को निर्माता/प्राधिकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 12) निविदाकार को सामग्री/सेवाकार्य की सूची में दर्शित निर्देश, जैसे-अधिकृत, मेक या सामग्री का प्रमाण पत्र सहित होने पर संबंधित दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है।
- 13) निविदाकार को पिछले 2 वर्ष का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र या लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

3.5 वाणिज्यिक भाग (भाग संख्या – स) मूल्य बोली

वाणिज्यिक भाग केवल निर्धारित प्रपत्रों में ही भरी जानी चाहिए और मुहर के साथ हस्ताक्षरित होनी चाहिए।

3.6 जीएसटी के नियम एवं शर्त

1. दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद जिला-बालोद (छ.ग.) का GSTIN 22AAAAD3079K1ZV है।
2. शक्कर कारखाना का जीएसटी नं. 22AAAAD3079K1ZV को वेंडर के द्वारा इनवॉइस में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।
3. विक्रेता/आपूर्तिकर्ता को संबंधित सामग्री/सेवाओं के विक्रय के साथ जीएसटी कर चालान बिल प्रस्तुत करना होगा, बिना टैक्स चालान के सामग्री को स्वीकार नहीं होगी।

4. विक्रेता को समय पर जीएसटी का भुगतान करके, जीएसटी भुगतान प्रमाण पत्र कारखाने में जमा करना होगा। इस तरह के किसी भी गैर-अनुपालन के मामले में, चीनी कारखाने को इनपुट टैक्स क्रेडिट के बराबर राशि ब्याज एवं विविध शुल्कों सहित का दावा करने का अधिकार है।
5. जीएसटीआर-1 में आपूर्ति सामग्री की वापसी में शक्कर कारखाने को समय पर और जारी चालान के अनुसार की गई आपूर्ति को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना है। यदि विवरण GSTR-1 में प्रस्तुत नहीं किया गया है या यदि यह हमारे GSTR-2 में सही ढंग से नहीं भरा गया है, तो चीनी कारखाने को विक्रेता द्वारा सुधार किए जाने तक भुगतान रोकने का अधिकार है।
6. वेंडर को भुगतान स्थानीय प्राधिकारी, छत्तीसगढ़ सरकार एवं/या केंद्र सरकार के नियमानुसार आयकर, जीएसटी के तहत टीडीएस की कटौती के बाद किया जायेगा।
7. यदि कोई फर्म संस्था में पूर्व से कार्यरत है अर्थात् अपनी सामग्री व सेवा संस्था में प्रदाय करता है तो संस्था द्वारा भुगतान किए गए सम्पूर्ण देयकों (बिल) का जीएसटी इनपुट क्रेडिट संस्था को प्राप्त न हुआ हो तो जीएसटी रिटर्न संबंधी शर्तों के अनुपालन में चुक करने, मानकर निविदा में अपात्र किया जावेगा एवं भविष्य में कालीसूची में शामिल भी किया जा सकता है।

4.ईएमडी राशि (जोखिम राशि)

ई-निविदा में प्रदाय किए जा रहे प्रत्येक सामग्री/सेवा कार्य के कुल मूल्य का 3% ईएमडी राशि (जोखिम राशि) बैंक में जमा करना अनिवार्य है। ईएमडी राशि (जोखिम राशि) को केवल RTGS/NEFT के द्वारा कारखाना के बैंक खाता संख्या 31360100006799, बैंक ऑफ बडौदा IFSC कोड संख्या BARB0BALODX दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद में जमा करना होगा।

- 4.1 ईएमडी राशि (जोखिम राशि) के जमा न करने पर निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 4.2 निविदा में असफल/अपात्र निविदाकारों की ईएमडी राशि नियमानुसार वापस की जायेगी।
- 4.3 ईएमडी राशि दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद के पास जमा रहेगी तथा ईएमडी राशि पर अर्जित ब्याज निविदाकार को देय नहीं होगा।
- 4.4 सरकारी एजेंसियों को ईएमडी राशि जमा करने से छूट दी गई है।
- 4.5 ईएमडी राशि निविदा में कोड किए गए मूल्य का 3 प्रतिशत जमा करना अनिवार्य होगा।
- 4.6 उपरोक्तानुसार दिए गए संस्था के खाते में ईएमडी राशि जमा दर्शित होने पर ही निविदा मान्य होगा।
- 4.7 यदि कोई फर्म जो संस्था में पूर्व वर्षों का वापसी योग्य ईएमडी राशि का समायोजन इस निविदा में करना चाहता है तो संस्था की लेखा कक्ष से समायोजन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जो कि गत वर्षों का ईएमडी खाते में जमा दर्शित होगा।

5.कार्य/आपूर्ति का दायरा

निविदाकारों को निविदा फॉर्म के नियमों और शर्तों के साथ-साथ कारखाने द्वारा जारी क्रय आदेश का पालन करना होगा।

5.1 गुणवत्ता प्रबंधन

विक्रेता/आपूर्तिकर्ता को सामग्री/सेवाकार्य की गुणवत्ता अनुबंध के अनुसार सामग्री/सेवाकार्य की गुणवत्ता और विशिष्टताओं को बनाए रखना आवश्यक है। विक्रेता द्वारा प्रदाय की गई सामग्री/सेवाकार्य दिये गये मानक से निम्न मानक का प्राप्त होने पर कारखाने के संबंधित

पदाधिकारी/तकनीकी समिति के द्वारा अस्वीकार किया जाएगा। यदि तकनीकी समिति को कोई नकली/निम्न मापदंड की सामग्री प्राप्त होने पर वही सामग्री बाहरी प्रतिष्ठित एजेंसियों को जाँच के लिए भेजी जा सकती है, जिसकी लागत विक्रेता के खातों से डेबिट की जाएगी। तकनीकी समिति के द्वारा क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण को विक्रेता द्वारा स्वीकार किया जाना अनिवार्य है। यदि कारखाने की तकनीकी समिति किसी भी सामग्री को अस्वीकार करती है तो विक्रेता को 15 दिन के भीतर अपने खर्च पर वापस लेना होगा। अन्यथा उक्त सामान के लिए कारखाना जिम्मेदार नहीं होगी। यदि आपूर्ति की गई सामग्री नकली/निम्न मानक पाई जाती है, और विक्रेता नकली सामग्री को एक सप्ताह के भीतर वापस नहीं लेता है कारखाने की किसी प्रकार की जवाबदेही नहीं होगा व इस संबंध में भविष्य में दावा नहीं किया जा सकता तथापि शककर कारखाने द्वारा वापस कर दिया जाएगा। वापसी लागत एवं सामग्री के कारण हुए नुकसान का 18% (सामग्री की कीमत का) की दर से ब्याज सहित पार्टी से वसूल किया जाएगा। आपूर्तिकर्ता को काली सूची में डालने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

- 5.2 आवश्यक सामग्री
सामग्री की संलग्न सूची के अनुसार। (वाणिज्यिक भाग-III)
- 5.3 अस्थायी अनुसूची
क्रय आदेश के नियम एवं शर्तों के अनुसार।

6. सामान्य नियम और शर्तें

किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रबंध संचालक एवं कारखाना अध्यक्ष ही अधिकृत होंगे।

- 6.1. निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं हैं।
- 6.2. निम्न विवरण प्रस्तुत किया जाना है:—
 - 6.2.1 निर्धारित तकनीकी और वाणिज्यिक भाग में मांगे गए अनुसार सभी विवरण प्रस्तुत किए जाना अनिवार्य है।
 - 6.2.2 सामग्री/सेवाकार्य की दरों को अंकों में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना अनिवार्य है। किसी भी कांट-छांट को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
 - 6.2.3 यदि कोई स्कोरिंग या कांट-छांट या सुधार है, तो निविदाकारों को पूरे हस्ताक्षर के साथ प्रमाणित करना होगा।
 - 6.2.4 तकनीकी भाग में आवश्यक विशेष जानकारी प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा निविदा अस्वीकार की जा सकती है।
 - 6.2.5 निविदाकार को तकनीकी भाग में निर्धारित प्रारूप में यह वचन देना होगा कि वह वाणिज्यिक निविदा की सभी शर्तों को स्वीकार करता है।
- 6.3 निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी/क्रय समिति के पास निविदा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
 - 6.3.1 क्रय समिति बिना कोई कारण बताए किसी एक या सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, ऐसे मामले में निविदाकर्ता किसी भी मुआवजे के लिए पात्र नहीं होंगे।

- 6.3.2 कारखाने में सामग्री की आवश्यकता के अनुसार निविदा में दी गई सामग्री की मात्रा या उससे कम या अधिक मात्रा का क्रय आदेश न्यूनतम दर विक्रेता को देने का अधिकार कारखाना प्रबंधन को होगा। जिसे न्यूनतम दर विक्रेता को स्वीकार करना होगा।
- 6.3.3 निविदा में दी गई सामग्री का विशेष विवरण में संशोधन करने का अधिकार प्रबंधन को होगा तथा कारखाना प्रबंधन निविदा में प्राप्त दर अधिक होने पर बातचीत (नेगोसिएशन) द्वारा सामग्री की सामान्य दर पर क्रय करने का अधिकार होगा अन्यथा की स्थिति में कारखाना प्रबंधन निविदा दर को निरस्त कर सामग्री क्रय करने की निविदा पुनः जारी करना या अधिकृत विक्रेता से क्रय करने का अधिकार प्रबंधन को होगा।
- 6.3.4 कारखाना क्रय समिति को जहां भी आवश्यक हो संस्था हित में निर्धारित नियम व शर्तों में छूट या संशोधन करने का अधिकार होगा।
- 6.3.5 निविदा में किसी सामग्री/सेवाकार्य के लिए विक्रेताओं की संख्या कम होने पर या निविदा में विक्रेता/निविदाकार में प्रतियोगिता बढ़ाने हेतु क्रय समिति ईएमडी राशि के अतिरिक्त निविदा के तकनीकी भाग, वाणिज्यिक भाग में दी गई शर्तों में किसी भी निविदाकार को छूट प्रदान कर सकता है। जिसे अन्य निविदाकारों/विक्रेताओं को मान्य होगा।
- 6.3.6 जिस निविदाकार को छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के किसी शक्कर कारखाने में काली सूची में सूचीबद्ध किया है। उस निविदाकार की निविदा अमान्य मानी जायेगी।
- 6.4 निविदा खोलने की प्रक्रिया
- 6.4.1 प्रबंध संचालक, दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद छत्तीसगढ़ एवं क्रय समिति के सदस्य के उपस्थिति में अथवा प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी की उपस्थिति एवं क्रय समिति सदस्य की उपस्थिति में प्रबंध संचालक कार्यालय में निविदा खुली जाएगी। निविदा खोलने की समय की जानकारी निविदा में दी गई है। सभी निविदाकार उक्त समय पर निविदा को ऑनलाईन देख सकेंगे।
- 6.4.2 सर्वप्रथम निविदा के भाग-1 में जमा अमानत राशि के दस्तावेज को खोलकर मूल्यांकन किया जाएगा। यदि निविदाकार ने अमानत राशि की आवश्यक मात्रा कारखाना के निर्धारित बैंक खाते में जमा की है या निविदाकार की पूर्व में जमा ईएमडी राशि को निविदा में स्वीकार करने पर एवं हस्तांतरण के पात्र होने पर विक्रेता निविदा के भाग-1 में पात्र माना जायेगा। भाग-1 में पात्र विक्रेता की निविदा के भाग-2 को खोला जायेगा। अपात्र निविदाकार के भाग-2 को नहीं खोला जायेगा।
- 6.4.3 निविदा के भाग-1 में पात्र निविदाकारों के निविदा के भाग-2 तकनीकी भाग को खोला जायेगा। तकनीकी भाग में मांगी गई सभी जानकारी से सम्बंधित दस्तावेजों का मूल्यांकन किया जायेगा। तकनीकी भाग में पात्र निविदाकारों की सूची तैयार की जायेगी। तकनीकी भाग में पात्र निविदाकारों का वाणिज्यिक भाग खोला जायेगा।
- तकनीकी भाग में निविदाकार द्वारा दी गई जानकारी झूठी गलत पाये जाने पर क्रय समिति निविदाकार/विक्रेता की निविदा को अस्वीकार कर सकता है।
- 6.4.4 निविदा दस्तावेज खरीदने वाले विक्रेता/निविदाकार की जमा की गई निविदा को स्वीकार किया जायेगा। स्थानांतरित निविदा दस्तावेज को अस्वीकार किया जायेगा।

- 6.4.5 क्रय समिति को न्यूनतम दर प्राप्त निविदाकार से बातचीत कर न्यूनतम दर कटौती करने का अधिकार होगा। क्रय समिति के द्वारा निविदा स्वीकार करने के बाद विक्रेता/निविदाकार को निविदा वापस लेने का अधिकार नहीं होगा।
- 6.4.6 निविदा में प्राप्त न्यूनतम दरों को स्वीकार करना या दरों में कटौती करना या उक्त सामग्री/सेवाकार्य को पुनः निविदा जारी के संबंध में निविदा स्वीकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
- 6.5 निविदा मूल्यांकन
- 6.5.1 कारखाने की वेबसाइट से ऑनलाईन निविदा पत्र निर्धारित शुल्क जमा करने पर, प्राप्त कर कारखाने की वेबसाइट पर जमा किये गये निविदा प्रपत्र का सर्वप्रथम भाग -1 में विक्रेता द्वारा आवश्यक अमानत राशि जमा करने का प्रपत्र जमा करना होगा एवं पात्र पाये जाने पर भाग-2 खोला जायेगा।
- 6.5.2 यदि आवश्यक अमानत राशि नहीं होने पर निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जायेगी। भाग -1 में पात्र निविदाकार को निविदा के भाग -2 तकनीकी भाग को खोला जायेगा तथा भाग -2 में पात्र निविदाकार के निविदा के भाग -3 वाणिज्यिक भाग को खोला जायेगा। निविदा के भाग -2 में अपात्र निविदाकार के भाग-3 को नहीं खोला जायेगा तथा निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- 6.6 निविदा की स्वीकृति या वापसी के नियम
- 6.6.1 क्रय समिति बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकार/निरस्त कर सकती है। अस्वीकृत या निरस्त निविदा का कोई दायित्व क्रय समिति पर नहीं होगा। निविदाकार अस्वीकृत/निरस्त के संबंध में संवाद नहीं करेगा।
- 6.6.2 निविदा स्वीकार करने के बाद निविदाकार अपनी निविदा को वापस नहीं ले सकेगा और न ही निविदा दरों में बढ़ोतरी कर सकेगा।
- 6.6.3 अपूर्ण, अस्वच्छ भरी गई एवं अपूर्ण अमानत राशि की निविदाओं को अस्वीकार कर दिया जायेगा।
- 6.6.4 निविदाकार को प्रत्येक श्रेणी के पूर्व निर्धारित योग्यता मानदंड के अनुसार निविदा के प्रत्येक भाग के दस्तावेजी साक्ष्य स्वहस्ताक्षरित एवं मुहर सहित क्रम से प्रस्तुत करने होंगे। किसी भी भाग में दस्तावेजी साक्ष्य न होने पर निविदाकार की निविदा को निरस्त कर दी जायेगी।
- 6.6.5 निविदाकार द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत/काल्पनिक पाये जाने पर निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा तथा भविष्य में किसी भी निविदा में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित करने की कार्यवाही किया जा सकेगा।
- 6.6.6 निविदाकार/विक्रेता के द्वारा निविदा में दी गई सभी सामग्री/सेवाकार्य की उचित/व्यावहारिक दर प्रस्तुत करनी होगी। निविदा में दी गई दरों को सामग्री की आपूर्ति तक मान्य होगी। जिसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी की मांग नहीं करेगा।
- 6.6.7 क्रय समिति को निविदा में प्रस्तुत दरों को बातचीत (नेगोसिएशन) के द्वारा कम करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 6.6.8 कारखाना प्रबंधन कारखाने में सामग्री की आवश्यकता की मात्रा को कम/अधिक या शून्य कर सकता है। कारखाना प्रबंधन निविदा में की गई सामग्री की मात्रा को क्रय करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- 6.7 अमानत राशि के जब्तकरण के कारण
निविदाकार/विक्रेता के द्वारा निविदा में गलत/झूठी जानकारी/अपमानित दस्तावेजी साक्ष्य के जमा करने पर क्रय समिति पूर्ण/आंशिक अमानत राशि को जब्त करने का अधिकार सुरक्षित है तथा निविदा को निरस्त किया जायेगा।

6.8 सुरक्षा जमा राशि

- 6.8.1 विक्रेता द्वारा निविदा में निर्धारित कुल निविदादर का 3 प्रतिशत राशि कारखाने के बैंक खाते में RTGS/NEFT के द्वारा सुरक्षा राशि/अमानत राशि जमा की जायेगी।
- 6.8.2 ईएमडी राशि जमा नहीं करने पर निविदाकार की निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा तथा अमानत राशि जमा होने पर ही निविदाकार को निविदा के भाग-2 के लिए पात्र होगा।
- 6.8.3 सफल निविदाकार को उपरोक्त शर्तों को पूरा करने पर ही एक समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहिए।
- 6.8.4 सफल निविदाकार द्वारा उसकी निविदा के संबंध में जमा की गई सुरक्षा राशि, प्रबंध निदेशक के कार्यालय की संतुष्टि के अधीन अनुबंध अवधि के अंत में उसे वापस कर दी जाएगी।
- 6.8.5 सुरक्षा जमा को वापस किए जाने तक उस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

6.9 सुरक्षा जमा की जब्ती

यदि सफल विक्रेता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है, किसी भी संविदात्मक दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसके ऊपर उल्लेखित सुरक्षा जमा प्रबंध निदेशक के कार्यालय द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

6.10 समझौता

- 6.10.1 सामग्री आपूर्तिकर्ता/विक्रेता/निविदाकार द्वारा समझौते के निष्पादन हेतु आवश्यक खर्च देय होंगे।
- 6.10.2 विक्रेता को अनुबंध में दी गई शर्तों का पालन करना होगा। अनुबंध में दी गई शर्तों के पालन न करने पर अनुबंध को समाप्त कर दिया जायेगा तथा प्रबंध संचालक/क्रय समिति कारखाने को होने वाले नुकसान/आर्थिक क्षति की भरपाई अमानत राशि जब्त कर करेगा।

6.11 निविदा का पूर्ण/आंशिक रूप में बांटना

निविदाकार/विक्रेता अनुबंध का लाभ/कार्य किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को नहीं देगा तथा प्रबंध संचालक के लिखित अनुमति के बिना किसी फर्म/व्यक्ति को कम या अधिक मूल्य पर कार्य/सामग्री को निष्पादन हेतु नहीं देगा।

6.12 अनुबंध पूरा न करने पर जुर्माना और समाप्ति

निविदाकार द्वारा क्रय आदेश/निविदा में दी गई समयावधि/विस्तारित समयावधि में सामग्री/सेवाकार्य की आपूर्ति नहीं करने पर में क्रय आदेश के अनुसार जुर्माना/दंड की कार्यवाही की जायेगी तथा अनुबंध को रद्द कर कालीसूची में डालने की कार्यवाही की जायगी।

6.13 फोर्स मेजर

अप्रत्याशित घटनाओं की स्थिति में सामग्री/सेवाकार्य की समय से आपूर्ति के लिए निविदाकार की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। जैसे:-

- 1) भूकंप, बाढ़ और महामारी सहित प्राकृतिक घटनाएं।
- 2) घरेलू/विदेशी घोषित/अघोषित युद्ध/सरकारी प्राधिकरण के नियमों के कारण
- 3) आग और विस्फोटक/अन्य दुर्घटनाओं के व्यवधान से।
- 4) सामग्री/सेवाकार्य की आपूर्ति हेतु परिवहन की समस्त जिम्मेदारी/जोखिम के लिए निविदाकार जिम्मेदार होगा।

6.14 वस्तुओं का परीक्षण

शक्कर कारखाने किसी भी प्रतिष्ठित परीक्षण प्रयोगशाला से सामग्री के नमूने का परीक्षण कराने के लिए स्वतंत्र होंगे और परीक्षण शुल्क आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा (यदि आवश्यक हो)। यदि मदों/सामग्री के नमूने अवमानक या विनिर्देशों से नीचे पाए जाते हैं, तो चीनी कारखाने के पास आपूर्ति की गई सामग्री/वस्तुओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

6.15 कानूनी कार्यवाही के लिए क्षेत्राधिकार

इस संबंध में कोई भी वाद या कार्यवाही उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बालोद के न्यायालय में ही संस्थित की जायेगी। किसी अन्य न्यायालय के पास क्षेत्राधिकार नहीं होगा, भले ही कार्रवाई के कारण का कोई भी भाग ऐसे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हो ।

7. विशेष नियम और शर्तें

7.1 पात्रता मानदंड

निविदाकारों को निविदा सूचना के भाग I के खंड 1 में उल्लिखित सभी पूर्व शर्तों को पूरा करना होगा।

7.2 मूल्यांकन मानदंड

सामग्री/सेवाकार्य के मूल्य पर पूर्व शर्तों के अलावा मूल्यांकन के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित को भी ध्यान में रखा जाएगा।

क) निविदाकार सेवाकार्य के लिए प्रशिक्षित श्रमिक एवं उनको प्रदाय की गई सुविधाओं के संबंध में सभी प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करेगा।

ख) निविदाकार के पास किसी सेवाकार्य/सामग्री आपूर्ति का पूर्व में अनुभव है, तो निविदा प्रपत्र में अनुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ग) विक्रेता/आपूर्तिकर्ता को ब्लैक लिस्टेड/दिवालिया नहीं होना चाहिए।

7.3 सामग्री/सेवाकार्य आपूर्ति

7.3.1 निविदाकार सामग्री/सेवाकार्य हेतु निविदा दस्तावेज/क्रय आदेश में दिए गए निर्देशों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

7.3.2 निविदाकार को सामग्री/सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना अनिवार्य है।

7.3.3 निविदाकार की रखरखाव सेवा, मामूली या प्रमुख प्रतिस्थापन आदि की जिम्मेदारी होगी।

7.3.4 कारखाना क्रय समिति के पास अनुबंध रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है यदि निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति/सेवाकार्य का उपयोग किया जाता है या सामग्री/सेवाकार्य की आपूर्ति में देरी होती है। आवंटित कार्य के निष्पादन हेतु आवश्यक सामग्री की आपूर्ति में देरी करते हैं और तय कीमत से अधिक कीमत की मांग करने पर क्रय आदेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा कारखाने को होने वाली क्षति की भरपाई निविदाकार के अमानत राशि को कांटकर वसूली की जायेगी ।

- 7.3.5 यदि निविदाकार द्वारा निविदा में दिये गये नियम शर्तों एवं न्यूनतम मूल्य के अनुसार सामग्री/सेवाएं उपलब्ध न कराने पर निविदा में शामिल द्वितीय न्यूनतम दर प्राप्त निविदाकार से संबंधित सामग्रियों/सेवाकार्य क्रय करने के लिए क्रय समिति के पास अधिकार सुरक्षित होगा।
- 7.4 अन्य शर्तें
- 7.4.1 कारखाने के कोई भी मशीनरी संबंधित अधिकारियों की अनुमति से संचालित होंगे। मरम्मत कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की अन्य हानि के लिए विक्रेता/आपूर्तिकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 7.4.2 अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का मूल्य संशोधन या मूल्य में वृद्धि नहीं की जायेगी।
- 7.4.3 प्रबंध संचालक/क्रय समिति आपूर्ति की शर्तों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 7.4.4 निविदाकार को छत्तीसगढ़ के किसी भी शक्कर कारखाने के ब्लेक लिस्ट (काली सूची) में शामिल होने पर निविदा में अपात्र किया जाएगा। निविदाकार को उक्त संबंध में निविदा फार्म में नीचे दर्शित सत्यनिष्ठ वचन को भरकर हस्ताक्षर व मुहर सहित तकनीकी भाग के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
- 7.5 आपूर्ति और जुर्माना
1. निविदा की शर्तों के अधीन अनुबंध/क्रय आदेश में निर्दिष्ट समय-सारणी के अनुसार पूर्णता सामग्री/सेवाकार्य की आपूर्ति नहीं करने पर कुल अनुबंध मूल्य पर 1% प्रति सप्ताह या उसके भाग की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।
 2. प्रबंध संचालक का कार्यालय नियत समय में निविदा कार्य पूर्ण नहीं करने पर बिना किसी सूचना के पूरे आदेश को रद्द कर सकता है व कारण की गंभीरता के अनुसार क्रय समिति निविदाकार/विक्रेता को काली सूची में डालने की कार्यवाही की जा सकती है तथा ईएमडी/सिक्योरिटी राशि को जब्त किया जा सकता है।
 3. यदि सामग्री/सेवाकार्य की आपूर्ति निविदा/क्रय आदेश में निर्धारित समय अवधि के भीतर आपूर्ति नहीं की जाती है, तो खरीदार/कारखाना आपूर्तिकर्ता की लागत और व्यय पर सामान वापस करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और अन्य स्रोतों से समान/सेवाकार्य की आपूर्ति की व्यवस्था में किए गए सभी नुकसानों की वसूली निविदाकार/विक्रेता से करेगा तथा कारखाने द्वारा अन्य विक्रेता से क्रय की गई सामग्री के सभी खर्चों के साथ अंतर राशि को निविदाकार से वसूला जायेगा।
- 7.6 वितरण योग्य
- आवश्यक सामग्री/सेवाओं को निविदा/क्रय आदेश में निर्दिष्ट अनुसार आपूर्ति किया जाएगा।
- 7.7 सामग्रियों की आपूर्ति एवं सेवाएं कार्य कार्यादेशानुसार समयावधि में आपूर्ति/पूर्ण करना होगा।
- 7.8 सेवाएं कार्य हेतु कार्य पूर्णता पश्चात् कार्य संतुष्टि हेतु विभागाध्यक्ष एवं तकनीकी अधिकारियों का सेवाएं प्रदाता के MOU साथ के पश्चात् ही भुगतान की प्रक्रिया होगी।
- 7.9 सामग्रियां/सेवाएं समयावधि पर आपूर्ति एवं सेवाएं नहीं देने अथवा कार्य/क्रयादेश अनुरूप नहीं होने या उससे संस्था को क्षति होने पर पर्याप्त सूचना पत्र देने पश्चात् संस्था को क्षति पहुंचाने/कार्य को प्रभावित करने के लिए वैधानिक/प्रशासनिक/ईएमडी जब्त/काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी।
- 7.10 उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त संस्था हित में सामग्री आपूर्ति/सर्विस कार्य के संबंध में आवश्यकतानुसार निर्णय लेने का संपूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक को होगा।

8. प्रबंधन/क्रय कमेटी का अधिकार

01. निविदा स्वीकृति/अस्वीकृति करने एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन/नेगोशिएसन संबंधी संपूर्ण अधिकार।
02. प्रबंध संचालक/उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/क्रय कमेटी की दृष्टि में निविदा निरस्त करने योग्य कोई कारण हो तो किसी भी समय निविदा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में निविदाकार को कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
03. निविदा में उल्लेखित सभी नियमों एवं शर्तों में किसी भी बिंदु को आवश्यकतानुसार विलोपित अथवा कोई नया शर्त जोड़ने का अधिकार होगा।
04. निविदा में किसी भी सामग्रियों की संख्या अथवा मेक में परिवर्तन करने का अधिकार प्रबंधन/क्रय कमेटी का होगा।
05. आवश्यकता अनुसार सामग्रियों की आपूर्ति/सेवाएं निविदा में न्यूनतम दर प्राप्त फर्मों के अतिरिक्त किसी अन्य फर्मों से भी क्रय करने/कार्य कराने का एकाधिकार होगा।
06. निविदा में उल्लेखित सामग्रियों की मात्रा का क्रय आदेश जारी एवं आपूर्ति उपरांत पुनः नवीन मात्रा के लिए क्रय आदेश जारी करने का अधिकार होगा।
07. पूर्व में संस्था में कार्यरत फर्म यदि निविदा में भाग लेते हैं तो उनके द्वारा पूर्व में प्रदाय सामग्री/कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए संबंधित फर्म का निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार प्रबंधन/क्रय कमेटी का होगा। जिसके लिए फर्म को संस्था द्वारा लिखित सूचना जारी करना आवश्यक नहीं होगा।

9. भुगतान खंड

1. विक्रेता/आपूर्तिकर्ता के द्वारा सामग्री/सेवा की आपूर्ति के साथ संबंधित बिल प्रस्तुत करना होगा।
2. अग्रिम भुगतान निविदा दस्तावेज के नियम एवं शर्तों के अनुसार किया जाएगा और शेष सामग्री जिसका उल्लेख नहीं किया गया है, का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
3. भुगतान कारखाने के तकनीकी अधिकारियों के संतुष्ट होने पर ही किया जायेगा।
4. कारखाने की वित्तीय स्थिति के अनुसार भुगतान एक या अधिक किस्तों में किया जा सकता है।
5. निविदाकार द्वारा आपूर्ति किये गये सामग्री/सेवाकार्य का कम वजन/कम मात्रा के अनुपात में कम कीमत/मूल्य/राशि को घटाकर भुगतान किया जायेगा।
6. विलंबित आपूर्ति के मामले में, क्रय आदेश/निविदा दस्तावेज के प्रावधानों के अनुसार हर्जाने की कटौती कर भुगतान किया जाएगा।
7. यदि परिस्थितिवश प्रस्तुत देयक भुगतान में विलंब होता है तो निविदाकार द्वारा किसी भी प्रकार का ब्याज राशि का दावा नहीं किया जावेगा।

10. वारंटी और गारंटी
(निविदाकार द्वारा लेटर हेड पर भरा जाना है)

निविदा सूचना क्रमांक—199829/DMSKM/P-O-/BALOD

दिनांक—06 / 10 / 2026

1. आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई प्रत्येक सामग्री/सेवाकार्य की कारीगरी सभी दोषों और चूक से मुक्त होगी तथा क्रय आदेश/निविदा दस्तावेज के अनुसार सामग्री/सेवाकार्य स्वीकृत मानक के अनुरूप प्रदाय करने की जिम्मेदारी होगी।
2. निविदाकार/विक्रेता द्वारा प्रदाय की गई सामग्री/सेवाकार्य के गुणवत्ता की 12 माह की गारंटी/वारंटी होगी तथा कारखाने की तकनीकी समिति को, सामग्री/सेवाकार्य की गुणवत्ता की जांच कर गुण दोष का मूल्यांकन कर सामग्री/सेवाकार्य को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार होगा।
3. आपूर्ति किये गये सामग्रियों में किसी भी प्रकार के दोष/कमी होने पर सामग्री को बदलवाने की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता की होगी। कारखाने द्वारा चाही गई सामग्री को बदलकर उपलब्ध कराने के लिए निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता भारत के किसी अन्य क्षेत्र व संस्था/निर्माता कंपनी से सामग्री लाने के लिए स्वयं जिम्मेदार होगी। जिसके लिए कारखाना द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा। सामग्री बदलवाने के लिए कारखाने से निकासी रसीद की तारीख से प्रबंधन द्वारा दी गई समयावधि के भीतर बदलवाई गई सामग्री निविदाकार/आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराना होगा अन्यथा की स्थिति में निविदाकार को सामग्री का किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
4. निविदाकार द्वारा पहली बार सामग्री/सेवाकार्य की आपूर्ति के पश्चात् दोषपूर्ण सामग्री को बदलवाने हेतु गारंटी/वारंटी के नियम व शर्तें कारखाना द्वारा सूचित किये जाने की तिथि से लागू होंगे।
5. निविदाकार द्वारा दोषपूर्ण सामग्री दिये जाने पर बदलवाने/मरम्मत के लिए कारखाने से बाहर ले जाने हेतु कारखाने द्वारा सहमति दी जायेगी किंतु निविदाकार को कारखाने के नियमों के अनुसार क्षतिपूर्ति/गारंटी प्रपत्र (बांड) दिया जाना होगा।
6. निविदाकार दोषपूर्ण सामग्री को दिए गए समयावधि में बदलकर उपलब्ध कराने में असफल होता है तो निविदा/क्रय आदेश के नियमों अनुसार जुर्माने/दण्ड का स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि उक्त समयावधि क्रय आदेश में दी गई समयावधि तक और सामग्री उपलब्ध नहीं होने पर क्रय कमटी को यह अधिकार होगा कि वह निविदाकर्ता को भुगतान किये जाने वाली अन्य राशि, अमानत राशि से क्षति/हानि की कटौती/वसूली कर सकेगा।
7. निविदा में चाही गई सामग्रियों हेतु निर्माता कंपनी के द्वारा सामग्री में किये गये दोष/कमियों के लिए निविदाकर्ता उत्तरदायी होगा।
8. यह गारंटी/वारंटी नियम उन सामग्रियों के लिए लागू नहीं होती जिन्हें बदलवाने/मरम्मत के लिए कारखाने से बाहर जाने के लिए कारखाने द्वारा निविदाकर्ता को लिखित सहमति नहीं दी गई है। ऐसे किसी भी सामग्री से होने वाले दुरुपयोग, लापरवाही और दुर्घटना के लिए कारखाना जिम्मेदार नहीं होगा।
9. गारंटी/वारंटी के नियमों व शर्तों के अनुसार सामग्रियों की लागत, ताकत, क्षमता एवं सभी दायित्वों के लिए विक्रेता जिम्मेदार होगा।
10. एक पेराई सत्र 2026-27 में मरम्मत किए गए मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल मशीनों/पैनलों में किसी भी प्रकार के दोष के लिए पूर्णतः निर्माता/अधिकृत कंपनी की जिम्मेदारी होगी।

11. अनुबंध का रूप
(निविदाकार द्वारा लेटर हेड पर भरा जाना है)

निविदा सूचना क्रमांक—199829/DMSKM/P-O-/BALOD

दिनांक—06 / 10 / 2026

प्रबंध संचालक,
दंतेश्वरी मैया सहकारी कारखाना मर्यादित बालोद
जिला बालोद (छ.ग.)

महोदय,

1. यह अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 01 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा। यदि निविदाकार अनुबंध अवधि में अनुबंध तथा निविदा के नियम व शर्तों का उल्लंघन करता है। तब क्रय समिति/प्रबंध संचालक कारखाना अनुबंध को निविदाकार के खर्च एवं लागत पर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
2. निविदाकार अनुबंध अवधि में निविदा के द्वारा निर्धारित सामग्रियों की आपूर्ति/सेवाकार्य की आपूर्ति करेगा तथा सामग्री/सेवाकार्य की निर्धारित दरों में 01 वर्ष में वृद्धि नहीं की जायेगी।
3. इस अनुबंध में वर्णित अनुबंध की दर में जीएसटी, भाड़ा, चुंगी, बीमा, स्थापना परिवहन और कमीशनिंग शुल्क और ऐसे अन्य शुल्क शामिल हैं जो समय-समय पर लागू हो सकते हैं।
4. इस अनुबंध के तहत आपूर्ति की जाने वाली वस्तुएं या सामग्री निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट गुणवत्ता और प्रकार की होनी चाहिए।
5. निविदा में सम्मिलित सामग्री/सेवाकार्य को निविदा में निर्धारित की गई सामग्री/सेवाकार्य की दर पर कारखाना स्थल दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद में सामग्री पहुंचाने/सेवाकार्य करने पर मान्य होगी अर्थात् कारखाना स्थल पर पहुंचाने का अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
6. विक्रेता द्वारा प्रदाय की गई सामग्री/सेवाकार्य क्रय आदेश/उचित मानक के अनुरूप नहीं होने पर क्रय समिति को अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा तथा अनुबंध निरस्त होने पर अनुबंध का जोखिम जैसे:—सामग्री/सेवाकार्य के समय/उचित मानक के अनुसार न होने पर होने वाली आर्थिक क्षति को निविदाकार की अमानत राशि से कटौती कर भरपाई की जायेगी।
7. विक्रेता/आपूर्तिकर्ता केवल मानक गुणवत्ता वाली सामग्री/सेवाओं की आपूर्ति करेगा।
8. निविदाकार द्वारा विक्रय/प्रदाय की गई सामग्री की निर्माण में दोष/खराब कारीगरी न होने की गारंटी निविदाकार की होगी।
9. निविदाकार द्वारा किसी भी सामग्री/सेवाकार्य की आपूर्ति में असमर्थता या असफल होने पर या क्रय आदेश में निर्देशित समयावधि पर सामग्री उपलब्ध न कराने पर कुल सामग्री के मूल्य पर 1% प्रति सप्ताह के आधार पर जुर्माना दंड किया जायेगा व उक्त कृत्य के लिए संबंधित निविदाकार का क्रय आदेश रद्द कर काली सूची में डालने की कार्यवाही की जा सकती है।

10. निविदाकार द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री/सेवाकार्य में किसी भी प्रकार की निर्माण में कमी या खराबी होने पर निविदाकार द्वारा कारखाना क्रय समिति द्वारा निर्धारित समयावधि में ही बदलना होगा जिसमें होने वाले व्यय को ही निविदाकार द्वारा ही वहन किया जायेगा।
11. निविदाकार/आपूर्तिकर्ता द्वारा कारखाने में आपूर्ति की गई सामग्रियों की जांच कारखाने द्वारा गठित तकनीकी जांच टीम के द्वारा की जायेगी। तकनीकी जांच टीम द्वारा अस्वीकृत सामग्रियों को क्रय करने हेतु कारखाना बाध्य नहीं होगा व निविदाकार को स्वयं के व्यय पर अस्वीकृत सामग्रियों को वापस लेना होगा। यदि निविदाकार द्वारा अस्वीकृत सामग्रियों को 15 दिवस के भीतर वापस नहीं लेता है तो सामग्री के प्रति कारखाने की कोई जवाबदारी नहीं होगी एवं सामग्री में होने वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए निविदाकार कारखाने में दावा (क्लेम) नहीं कर सकता। यदि अस्वीकृत सामग्री को निविदाकार 90 कार्य दिवस में वापस नहीं ले जाता जो सामग्री के कुल मूल्य का 1 प्रतिशत रखरखाव चार्ज लिया जा सकता है।
12. किसी निविदाकार द्वारा प्रदाय की गई सामग्री पिछले दो सत्रों में अस्वीकृत/अमान्य किया गया है। तब उस निविदाकार को वर्तमान निविदा में उसी सामग्री में अमान्य माना जायेगा।
13. निविदाकार/आपूर्तिकर्ता द्वारा निविदा में दी गई सामग्रियों/सेवाकार्य का न्यूनतम दर निविदाकार को क्रय आदेश में दी गई समय सीमा में सामग्री की आपूर्ति करनी होगी। क्रय आदेश में दी गई समय सीमा के बाद सामग्री/सेवाकार्य को कारखाना क्रय समिति/प्रबंधन के द्वारा अस्वीकृत कर दी जायेगी अर्थात् क्रय आदेश में दी गई समय सीमा में सामग्री की आपूर्ति न होने पर कारखाना प्रबंधन सामग्री को लेने के लिए बाध्य नहीं होगा।
14. निविदा में दी गई सामग्री/सेवाकार्य की मात्रा कारखाना की आवश्यकता अनुसार कम/अधिक/शून्य करने का अधिकार क्रय समिति के पास सुनिश्चित होगा। सामग्री/सेवाकार्य की न्यूनतम दर प्राप्त निविदाकार सामग्री/सेवाकार्य को क्रय करने को बाध्य नहीं करेगा।
15. निविदा में किसी सामग्री/सेवाकार्य की प्राप्त न्यूनतम दर क्रय समिति के मतानुसार अधिक होने पर निविदा में भाग लेने वाले पक्षकारों से क्रय समिति दरों में नेगोशिएसन (मोलभाव) कर न्यूनतम दर तय कर सकता है, जिसे सभी निविदाकारों को मान्य होगा।
16. इस अनुबंध के तहत निविदाकार द्वारा आपूर्ति किए गए सामग्रियों का निर्माता नहीं होने पर भी सभी सामग्रियों/सेवाकार्यों के लिए गारंटी का उत्तरदायी (जिम्मेदार) होगा।
17. निविदा में चाही गई सामग्रियों के क्रय हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम नहीं दिया जायेगा।
18. निविदा या निविदा में किसी भी प्रकार की भागीदारी, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से बिना प्रबंध संचालक के लिखित सहमति के मान्य नहीं होगी।
19. अप्रत्याशित घटनाओं की स्थिति में सामग्री/सेवाकार्य की समय से आपूर्ति के लिए निविदाकार की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। जैसे:-
 - 1) भूकंप, बाढ़ और महामारी सहित प्राकृतिक घटनाएं।
 - 2) घरेलू/विदेशी घोषित/अघोषित युद्ध/सरकारी प्राधिकरण के नियमों के कारण
 - 3) आग और विस्फोटक/अन्य दुर्घटनाओं के व्यवधान से।
 - 4) सामग्री/सेवाकार्य की आपूर्ति हेतु परिवहन की समस्त जिम्मेदारी/जोखिम के लिए निविदाकार जिम्मेदार होगा।

20. इस अनुबंध की अवधि में यदि आवश्यक हो तो विक्रेता/निविदाकार कोई सलाह/परामर्श/प्रार्थना पत्र देना चाहे तो कारखाने के ई-मेल आईडी या पते पर पंजीकृत डाक द्वारा प्रबंध संचालक को दे सकता है तथा कारखाना क्रय समिति/प्रबंध संचालक को यदि आवश्यक हो तो नियम व शर्तों या अन्य सुधार हेतु निविदाकार को मेल या कारखाने के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजकर सूचित करगा। जो निविदाकार को मान्य होगा।
21. निविदाकार/आपूर्तिकर्ता को कारखाने द्वारा किसी भी प्रकार के लिखित नोटिस/सूचना पत्र निविदाकार द्वारा दिए गए पते पर भेज दिया जाता है तो उसे निविदाकार को विधिवत दिया गया माना जायेगा।
22. किसी भी प्रकार के विवाद होने की दशा में कार्यालयीन क्षेत्राधिकार जिला बालोद सहकारी क्षेत्र का सक्षम न्यायालय के अधिकार के अंतर्गत रहेगा। जिसका निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा एवं दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
23. निविदा अनुबंध के दौरान निविदाकार/आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी नियम व शर्तों के उल्लंघन करने पर होने वाले व्यय व देनदारियों को वसूल करने का एवं अनुबंध/क्रय आदेश को रद्द करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।
24. निविदा के सेवाकार्यों में लगे किसी भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष श्रमिकों के वेतन, ईएसआई, पी.एफ. आदि श्रम कानूनों के वैधानिक दायित्वों की जिम्मेदारी, निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता की होगी।
25. निविदा सामग्री/सेवाकार्य से संबंधित किसी भी प्रकार की अकास्मिक क्षति, आग लगना व चोरी होना, के जाखिम की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार/आपूर्तिकर्ता की होगी।
26. निविदाकार/आपूर्तिकर्ता को सेवाकार्य में लगे श्रमिकों की जानकारी संबंधित अधिकारियों को करनी होगी एवं श्रमिकों की उपस्थिति, छुट्टी व उनके द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी (रिपोर्ट) कार्यालय में उपस्थित करनी होगी।
27. निविदाकार द्वारा सेवा कार्यों में लगे श्रमिकों को किसी भी प्रकार के लाभ व अधिकार का दावा करने की अनुमति नहीं होगी। श्रमिकों के द्वारा कारखाने में सेवाकार्य के दौरान व्यवहार कुशल होना होगा, जिसकी जिम्मेदारी निविदाकार/आपूर्तिकर्ता की होगी।
28. निविदा अनुबंध व सामग्री/सेवाकार्य में किसी भी प्रकार चूक/लापरवाही होने पर कारखाने को होने वाले नुकसान, क्षति, व्यय, लागत आदि का वहन (भरपाई) निविदाकार को करनी होगी।
29. निविदा अनुबंध (दस्तावेज) के सभी नियम व शर्त निविदाकार द्वारा मान्य/स्वीकार होंगे।
30. मैं/हम कारखाने के निविदा संबंधित सभी नियम व शर्तों को स्वीकार करते हुए क्रय/कार्य आदेश के आधार व मानक पर सामग्री/सेवाकार्य प्रदाय करने के लिए सहमत हैं।
31. मेरे/हमारे द्वारा निविदा के समस्त नियम व शर्तों को ठीक से पढ़ व जांच लिया है।
32. मैं/हम निविदा की सामग्री/सेवाकार्य को प्रदाय करने हेतु अपना/हमारा दर प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।
33. मैंने/हमने निविदा में आपकी संस्था (कारखाने) के द्वारा नियम व शर्तों के आधार पर चाही गई हमारी संस्था (फर्म) की वैधानिक दस्तावेज, अधिकृत प्रमाण पत्र, आयकर संबंधी प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्रों को संलग्न (अपलोड) किया है।
34. मैं/हम निविदा के प्रावधानों से सहमत है जिसमें अनुबंध के नियम व शर्त भी शामिल है एवं मैं/हम निविदा दस्तावेजों के प्रावधानों व नियम शर्तों के आधार पर ही सामग्री/सेवाकार्यों हेतु दर प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।

35. मैं/हम सहमत निविदा के नियम व शर्तों के आधार पर ईएमडी राशि की जब्ती/दण्ड होने पर स्वीकार है एवं मेरे/हमारे द्वारा किसी प्रकार का दावा नहीं किया जायेगा।
36. यह अनुबंध केवल सहकारी संस्थाएं बालोद के अधिकार क्षेत्र के अधीन है।

नाम:.....

पद का नाम:—.....

आपूर्तिकर्ता की आधिकारिक मुहर

12. निविदा दर वैधता पत्र
(निविदाकार द्वारा लेटर हेड पर भरा जाना है)

निविदा सूचना क्रमांक—199829/DMSKM/P-O-/BALOD

दिनांक—06 / 10 / 2026

प्रबंध संचालक,
दंतेश्वरी मैया सहकारी कारखाना मर्यादित बालोद
जिला बालोद (छ.ग.)

महोदय,

हम यहां प्रमाणित करते हैं कि हमारी निविदा कीमत निविदा की तारीख से 12 महीने तक वैध है।

नाम:—.....

पद का नाम:—.....

आपूर्तिकर्ता की आधिकारिक मुहर

दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद (छ.ग.) 1250
टीडीएस शक्कर कारखाना के लिए विभिन्न रिपेयरिंग/मेंटेनेंस एवं
एएमसी कार्यों आदि हेतु द्वितीय ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

भाग-II तकनीकी भाग (भाग-बी)

प्रबंध संचालक,
DMSSKM- बालोद
जिला बालोद (छ.ग.)

भाग – II तकनीकी भाग (भाग-बी)

(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त दस्तावेज संलग्न करें)

निविदा सूचना क्रमांक—199829/DMSKMB/P-O-/BALOD

दिनांक—06 / 10 / 2026

निविदा दस्तावेज संख्या:

1. विक्रेता का विवरण

1.1 संगठन का नाम और स्थान.....

1.2 मालिक / मालिक का नाम.....

1.3 संगठन की प्रकृति.....

यहां टिक करें – सरकार * सार्वजनिक * निजी * साझेदारी * स्वामित्व *

1.4 कार्यालय का पता —.....

टेलीफोन नंबर—.....

ईमेल:—.....

1.5— संपर्क व्यक्ति का पता—:.....

टेलीफोन नंबर:—.....

ईमेल:—.....

वेबसाइट:—.....

1.6 पंजीकरण —

पैन नंबर —:

जीएसटी —.....

फोन नंबर—.....

ईमेल —.....

वेबसाइट—.....

1.7 बैंक विवरण और पता —

अ)

ब)

1.8 कंपनी के पिछले 02 वर्षों का आयकर रिटर्न

(अ) 2023—24

(ब) 2024—25

नीचे उल्लिखित दस्तावेज— (अधिकृत डीलर के लिए)

अ) साझेदारी समझौता (यदि आवश्यक हो)

ब) निगमन का प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)

1.9 कुल निविदा राशि.....

3% ईएमडी राशि.....

3. ईएमडी का विवरण संलग्न—

i) अंतरण की राशि:—.....

ii) यूटीआर संख्या और तारीख:—.....

iii) बैंक का नाम:—.....

vi) अन्य विवरण :—.....

यदि यह एक से अधिक राशि स्थानांतरित कर रहा है, तो कृपया इसका उल्लेख करें—

क्र.सं. यूटीआर दिनांक राशि (रु.) बैंक का नाम

1.

2.

3.

4.

5.

कुल राशि:—.....

नोट:— तकनीकी बोली में आवश्यक ईएमडी के बिना निविदाएं अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं।

4. वाणिज्यिक बोली पर घोषणा

मैं/हम सहमत हैं कि निविदा खोलने की तारीख से कम से कम 45 दिनों की अवधि के लिए प्रस्ताव स्वीकृति के लिए खुला रहेगा और उसके बाद जब तक निविदा खोलने के अधिकार को विधिवत संबोधित लिखित नोटिस द्वारा हमारे द्वारा इसे वापस नहीं लिया जाता है और भेजा जाता है। पावती के साथ पंजीकृत डाक द्वारा या अन्यथा प्राधिकरण के कार्यालय में वितरित किया गया।

मैं/हम निविदा के साथ संलग्न विशेष नियम और शर्तों, सामान्य नियम और शर्तों और भुगतान खंड से सहमत हैं और इन शर्तों का पालन करेंगे। मैं/हम घोषणा करते हैं कि वाणिज्यिक बोली बिना किसी शर्त के प्रस्तुत की गई है और पूरी तरह से निविदा दस्तावेज की शर्तों के अनुसार प्रस्तुत की गई है और मैं/हम जानते हैं कि वाणिज्यिक बोली को अस्वीकार किया जा सकता है यदि इसमें कोई अन्य शर्त शामिल हैं।

मैं/हम घोषणा करते हैं कि निविदा में दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है। यदि कोई झूठी/काल्पनिक जानकारी पाई जाती है तो मैं/हम विक्रेता की अस्वीकृति के लिए सहमत हूँ/हैं।

निविदाकार हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम:—.....

फर्म का नाम और पता :—.....

फोन नंबर:—.....

ईमेल :—.....

दिनांक और कार्यालय मुहर:—

1. साधारण

- 1.1. यह प्री-बिड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट (इसके बाद इंटेग्रिटी पैक्ट कहा जाता है) महीने के को छत्तीसगढ़ सरकार के बीच श्री के माध्यम से किया जाता है। (कार्यालय का पदनाम, विभाग) छत्तीसगढ़ सरकार (इसके बाद "क्रेता" कहा जाता है, जिस अभिव्यक्ति का अर्थ होगा और इसमें शामिल होगा, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो) की आवश्यकता है, कार्यालय में उनके उत्तराधिकारी और असाइन किए गए) और प्रथम पक्ष, (स्टोर/उपकरण/कार्य/सेवा का नाम) की खरीद का प्रस्ताव करता है और मैसर्स श्री द्वारा प्रतिनिधित्व करता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (इसके बाद "विक्रेता/विक्रेता" कहा जाता है, जिसकी अभिव्यक्ति का अर्थ होगा और इसमें शामिल होगा, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, उसके उत्तराधिकारी अनुमत समनुदेशिनी हों) और दूसरा पक्ष, इसके लिए तैयार है प्रस्ताव / की पेशकश की है।
- 1.2. जबकि बोली लगाने वाला एक निजी कंपनी/सार्वजनिक कंपनी/सरकारी उपक्रम/साझेदारी/पंजीकृत निर्यात एजेंसी है, जो इस मामले में प्रासंगिक कानून के अनुसार गठित है और खरीदार सरकार का एक मंत्रालय/विभाग है, जो सरकार की ओर से अपना कार्य कर रहा है। छत्तीसगढ़ का।

2. उद्देश्य

- अब, इसलिए, खरीदार और विक्रेता इस पूर्व-अनुबंध समझौते में प्रवेश करने के लिए सहमत हैं, इसके बाद एक निष्पक्ष, पारदर्शी और किसी भी प्रभाव/पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार से मुक्त एक प्रणाली का पालन करके भ्रष्टाचार के सभी रूपों से बचने के लिए अखंडता संधि के रूप में संदर्भित किया गया है। निम्नलिखित की दृष्टि से किए जाने वाले अनुबंध के लिए, उसके दौरान और उसके बाद –
- 2.1. उच्च लागत और सार्वजनिक खरीद पर भ्रष्टाचार के विकृत प्रभाव से बचने के द्वारा परिभाषित विनिर्देशों के अनुरूप प्रतिस्पर्धी मूल्य पर खरीदार को वांछित स्टोर/उपकरण/कार्य/सेवा प्राप्त करने में सक्षम बनाना, और
- 2.2. अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए विक्रेताओं को रिश्वत देने या किसी भी भ्रष्ट आचरण में शामिल होने से रोकने में सक्षम बनाना, उन्हें आश्वासन देकर कि उनके प्रतिस्पर्धी भी किसी भी भ्रष्ट प्रथाओं को रिश्वत देने से दूर रहेंगे और खरीदार किसी भी रूप में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध होगा। पारदर्शी प्रक्रियाओं का पालन करके।

3. खरीदार की प्रतिबद्धता

खरीदार खुद को निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध करता है—

- 3.1. क्रेता यह वचन देता है कि अनुबंध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े क्रेता का कोई भी अधिकारी, प्रत्यक्ष या मध्यस्थों के माध्यम से किसी भी रिश्वत, विचार, उपहार, इनाम, एहसान या किसी सामग्री या सारहीन लाभ या किसी भी प्रकार की मांग नहीं करेगा, इसके लिए वादा नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा। बोली प्रक्रिया, बोली मूल्यांकन, अनुबंध या अनुबंध से संबंधित कार्यान्वयन प्रक्रिया में लाभ के बदले में विक्रेता से अन्य लाभ, या तो खुद के लिए या अनुबंध से संबंधित किसी भी व्यक्ति, संगठन या तीसरे पक्ष के लिए।
- 3.2. खरीदार, पूर्व-अनुबंध चरण के दौरान, विक्रेताओं के साथ समान व्यवहार करेगा, और सभी विक्रेताओं को समान जानकारी प्रदान करेगा और किसी विशेष को ऐसी कोई जानकारी प्रदान नहीं करेगा। विक्रेता जो अन्य विक्रेताओं की तुलना में उस विशेष विक्रेता को लाभ दे सकता है।

- 3.3. खरीदार के सभी अधिकारी उपयुक्त सरकारी कार्यालय को उपरोक्त प्रतिबद्धताओं के किसी भी प्रयास या पूर्ण उल्लंघन के साथ-साथ इस तरह के उल्लंघन के किसी भी संदेह के बारे में सूचित करेंगे। यदि ऐसे किसी पूर्ववर्ती कदाचार की सूचना विक्रेता द्वारा क्रेता को पूर्ण और सत्यापन योग्य तथ्यों के साथ दी जाती है और वही प्रथम दृष्टया क्रेता द्वारा सही पाया जाता है, तो आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही, या कोई अन्य कार्रवाई जैसा उचित समझा जाए, अपराधिक कार्यवाही सहित खरीदार द्वारा शुरू किया जा सकता है और ऐसे व्यक्ति को अनुबंध प्रक्रिया से संबंधित आगे के व्यवहार से वंचित किया जाएगा। ऐसे मामले में जब खरीदार द्वारा जांच की जा रही है तो अनुबंध के तहत कार्यवाही को रोका नहीं जाएगा।
4. बोली लगाने वालों की प्रतिबद्धता
- विक्रेता भ्रष्ट प्रथाओं को रोकने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता है, अनुचित मतलब अपनी बोली के किसी भी चरण के दौरान या किसी पूर्व-अनुबंध या अनुबंध के बाद के चरण के दौरान अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए या इसे सुरक्षित करने के लिए विशेष रूप से खुद को निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध करें—
- 4.1 विक्रेता सीधे या मध्यस्थों के माध्यम से, किसी भी रिश्वत, उपहार, प्रतिफल, इनाम, एहसान, किसी भी सामग्री या सारहीन लाभ या अन्य लाभ, कमीशन, शुल्क, दलाली या प्रलोभन की पेशकश खरीदार के किसी भी अधिकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा। बोली प्रक्रिया, या अनुबंध से संबंधित किसी भी व्यक्ति, संगठन या तीसरे पक्ष को बोली, मूल्यांकन, अनुबंध और अनुबंध के कार्यान्वयन में किसी भी लाभ के बदले में।
- 4.2 विक्रेता आगे यह भी वचन देता है कि उसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई रिश्वत, उपहार, प्रतिफल, इनाम, पक्ष, कोई सामग्री या सारहीन लाभ या अन्य लाभ, कमीशन, शुल्क, दलाली, या किसी भी अधिकारी को प्रलोभन नहीं दिया है, देने की पेशकश या वादा नहीं किया है। क्रेता के या अन्यथा अनुबंध को प्राप्त करने या अनुबंध को प्राप्त करने या निष्पादित करने के संबंध में किसी भी कार्य को करने या करने के अनुबंध की खरीद में या सरकार के साथ किसी भी अन्य अनुबंध के संबंध में किसी भी व्यक्ति को पक्ष या विरोध दिखाने या मना करने के लिए अनुबंध या सरकार के साथ कोई अन्य अनुबंध।
- 4.3 विक्रेता आगे पुष्टि करता है और खरीदार को घोषणा करता है कि मूल निर्माण/इंटीग्रेटर/प्राधिकृत सरकारी प्रायोजित दुकानों में बोली लगाने वाला और किसी भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी को हस्तक्षेप करने, सुविधा देने या सिफारिश करने के लिए किसी भी तरह से भारतीय या विदेशी नहीं लगाया है। खरीदार या उसके किसी पदाधिकारी को, चाहे आधिकारिक तौर पर या अनौपचारिक रूप से बोली लगाने वाले को अनुबंध देने के लिए, और न ही किसी ऐसे व्यक्ति, फर्म या कंपनी को ऐसी किसी भी मध्यस्थता के संबंध में कोई राशि का भुगतान, वादा या भुगतान करने का इरादा है, सुविधा या सिफारिश।
- 4.4 विक्रेता, या तो बोली प्रस्तुत करते समय या पूर्व-अनुबंध वार्ता के दौरान या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले, किसी भी भुगतान का खुलासा करेगा जो उसने किया है, खरीदार के अधिकारियों या उनके परिवार के सदस्यों, एजेंटों, दलालों या किसी के लिए प्रतिबद्ध है या करने का इरादा रखता है। अनुबंध के संबंध में अन्य मध्यस्थ और ऐसे भुगतानों के लिए सहमत सेवाओं का विवरण।

- 4.5 बोली प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति, बोली मूल्यांकन, अनुबंध और अनुबंध के कार्यान्वयन को कम करने के लिए विक्रेता अनुबंध में रुचि रखने वाले अन्य पक्षों के साथ सांठगांठ नहीं करेगा।
- 4.6 विक्रेता किसी भी भ्रष्ट आचरण, अनुचित साधनों और अवैध गतिविधियों के बदले में कोई लाभ स्वीकार नहीं करेगा।
- 4.7 विक्रेता प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से अनुचित तरीके से उपयोग नहीं करेगा, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा में निहित जानकारी सहित योजनाओं, तकनीकी प्रस्ताव और व्यावसायिक विवरण के संबंध में खरीदार द्वारा व्यावसायिक संबंधों के हिस्से के रूप में प्रदान की गई किसी भी जानकारी को दूसरों को पास नहीं करेगा। वाहक। विक्रेता उचित और पर्याप्त सावधानी बरतने का भी वचन देता है कि ऐसी कोई जानकारी प्रकट न हो।
- 4.8 विक्रेता पूर्ण और सत्यापन योग्य तथ्यों के समर्थन के बिना किसी भी अन्य तरीके से सीधे किसी भी शिकायत को देने से बचने के लिए प्रतिबद्ध है।
- 4.9 विक्रेता किसी भी तीसरे व्यक्ति को ऊपर वर्णित कार्यों में से कोई भी कार्य करने के लिए उकसाएगा या भड़काने का कारण नहीं बनेगा।
5. पिछला अपराध
- 5.1 विक्रेता घोषणा करता है कि इस सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करने से ठीक पहले पिछले तीन वर्षों में किसी भी देश में किसी भी अन्य कंपनी के साथ या भारत में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या भारत के किसी भी सरकारी विभाग के साथ किसी भी भ्रष्ट आचरण के संबंध में कोई पिछला उल्लंघन नहीं हुआ है। निविदा प्रक्रिया से विक्रेता के बहिष्करण को उचित ठहरा सकता है।
- 5.2 यदि विक्रेता इस विषय पर गलत बयान देता है, तो विक्रेता को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है या अनुबंध, यदि पहले से ही दिया गया है, तो ऐसे कारण से समाप्त किया जा सकता है।
6. ईएमडी राशि
- 6.1 वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करते समय प्रत्येक विक्रेता, निम्नलिखित में से किसी भी साधन के माध्यम से खरीदार के पास बयाना राशि/सुरक्षा जमा के रूप में आरएफपी में निर्दिष्ट राशि जमा करेगा।
 - (i) आरटीजीएस/एनईएफटी यूटीआर नं/.....
 - (ii) एक भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा एक निश्चित गारंटी, गारंटीकृत राशि के भुगतान का वादा (खरीदार) मांग पर तीन कार्य दिवसों के भीतर बिना किसी आपत्ति के और बिना खोज और कारण जो भी हो। खरीदार द्वारा भुगतान की मांग को भुगतान के निर्णायक प्रमाण के रूप में माना जाएगा।
 - (iii) कोई अन्य मोड या किसी अन्य साधन के माध्यम से (आरएफपी में निर्दिष्ट किया जाना है)।
- 6.2 ईएमडी राशि/सुरक्षा जमा एक वर्ष की अवधि तक या वारंटी अवधि सहित विक्रेता और खरीदार दोनों की पूर्ण संतुष्टि के लिए संविदात्मक दायित्वों के पूर्ण समापन तक वैध होगा, जो भी बाद में हो।
- 6.3 सफल विक्रेता के मामले में खरीद अनुबंध में प्रदर्शन बांड से संबंधित अनुच्छेद में एक खंड भी शामिल किया जाएगा कि के लिए मंजूरी के प्रावधान इस समझौते के उल्लंघन के लिए मंजूरी लगाने के लिए कोई कारण बताए बिना क्रेता द्वारा इसे जब्त करने के निर्णय के मामले में प्रदर्शन बांड की जब्ती के लिए उल्लंघन लागू होगा।

- 6.4 ईएमडी राशि जमा पर क्रेता द्वारा विक्रेता को उसकी मुद्रा की अवधि के लिए कोई ब्याज देय नहीं होगा।
7. उल्लंघन के लिए प्रतिबंध
- 7.1 विक्रेता या उसके द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति या उसकी ओर से कार्य करने वाले (चाहे विक्रेता के ज्ञान के साथ या उसके बिना) उपरोक्त प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन, जहां भी आवश्यक हो, खरीदार को निम्नलिखित में से सभी या किसी एक कार्रवाई करने का अधिकार होगा।
- (i) बिना कोई कारण बताए या विक्रेता को कोई मुआवजा दिए बिना पूर्व अनुबंध वार्ता को तुरंत बंद करना। हालांकि, अन्य बोली लगाने वालों के साथ कार्यवाही जारी रहेगी।
 - (ii) ईएमडी राशि जमा (पूर्व-अनुबंध चरण में) और/या सुरक्षा जमा/निष्पादन बॉन्ड (अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद) को पूरी तरह या आंशिक रूप से जब्त करने के लिए, जैसा कि खरीदार द्वारा तय किया गया है और खरीदार को कोई भी असाइन करने की आवश्यकता नहीं होगी इसलिए कारण।
 - (iii) विक्रेता को कोई मुआवजा दिए बिना अनुबंध को तुरंत रद्द करना, यदि पहले से ही हस्ताक्षर किए गए हैं।
 - (iv) खरीदार द्वारा पहले से भुगतान की गई सभी राशियों की वसूली के लिए, और भारतीय बोली लगाने वाले के मामले में प्रचलित प्रधान उधार दर से 2% अधिक ब्याज के साथ, जबकि भारत के अलावा किसी अन्य देश से बोली लगाने वाले के मामले में 2% ब्याज के साथ। यदि किसी अन्य अनुबंध के संबंध में खरीदार से विक्रेता को कोई बकाया भुगतान देय है, तो ऐसे बकाया भुगतान का उपयोग उक्त राशि और ब्याज की वसूली के लिए भी किया जा सकता है।
 - (v) अग्रिम बैंक गारंटी और निष्पादन बॉन्ड/वारंटी बॉन्ड को भुनाने के लिए, यदि विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, ताकि खरीदार द्वारा पहले ही किए गए भुगतानों को ब्याज सहित वसूल किया जा सके।
 - (vi) विक्रेता और विक्रेता के साथ सभी या किसी भी अन्य अनुबंध को रद्द करने के लिए खरीदार को किसी भी नुकसान या क्षति के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके परिणामस्वरूप इस तरह के रद्दीकरण/निरस्तीकरण और खरीदार को भुगतान की जाने वाली राशि से कटौती करने का अधिकार होगा। विक्रेता को देय धनराशि।
 - (vii) विक्रेता को छत्तीसगढ़ सरकार की भविष्य की बोली प्रक्रिया में भाग लेने से कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित करना, जिसे आगे बोली लगाने वाले के विवेकाधिकार में बढ़ाया जा सकता है।
 - (viii) विक्रेताओं द्वारा किसी बिचौलिए या एजेंट को इस समझौते के उल्लंघन में भुगतान की गई सभी राशियों की वसूली के लिए या अनुबंध हासिल करने की दृष्टि से तोड़ा गया।
 - (ix) ऐसे मामलों में जहां क्रेता द्वारा बोली लगाने वाले के साथ हस्ताक्षरित किसी अनुबंध के संबंध में अपरिवर्तनीय साख पत्र प्राप्त हुए हैं, उसे नहीं खोला जाएगा।
 - (x) यदि विक्रेता या विक्रेता का कोई कर्मचारी या विक्रेता की ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, खरीदार के किसी भी अधिकारी से निकटता से संबंधित है, या वैकल्पिक रूप से, यदि किसी अधिकारी का कोई करीबी रिश्तेदार है विक्रेता की फर्म में क्रेता का वित्तीय हित/हिस्सेदारी है, इसका खुलासा विक्रेता द्वारा किया जाएगा।

निविदा भरने का समय। शामिल ब्याज का खुलासा करने में कोई विफलता खरीदार को विक्रेता को किसी भी मुआवजे के भुगतान के बिना अनुबंध को रद्द करने का अधिकार देगी।

इस उद्देश्य के लिए 'शकरीबी रिश्तेदार' शब्द का अर्थ होगा जीवनसाथी चाहे सरकारी कर्मचारी के साथ रह रहा हो या नहीं, लेकिन इसमें सक्षम अदालत की डिक्री या आदेश द्वारा सरकारी कर्मचारी से अलग किया गया जीवनसाथी शामिल नहीं है। बेटा या बेटी या सौतेला बेटा या सौतेली बेटी और पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर है, लेकिन इसमें एक बच्चा या सौतेला बच्चा शामिल नहीं है जो अब किसी भी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर नहीं है या जिसकी हिरासत से सरकारी कर्मचारी को वंचित किया गया है या किसी कानून के तहत कोई अन्य व्यक्ति, चाहे खून से या शादी से, सरकारी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी की पत्नी या पति से संबंधित हो और पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर हो।

- (Xi) विक्रेता, क्रेता के किसी भी कर्मचारी के साथ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी पैसे को उधार या उधार नहीं लेगा या किसी भी मौद्रिक लेनदेन या लेनदेन में प्रवेश नहीं करेगा, और यदि वह ऐसा करता है, तो क्रेता को रद्द करने का अधिकार होगा। विक्रेता के साथ अनुबंध और अन्य सभी अनुबंध। विक्रेता इस तरह के निरसन के परिणामस्वरूप क्रेता को हुए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और क्रेता विक्रेता को देय राशि (धन) से देय राशि को काटने का हकदार होगा।
- 7.2 इस आशय का क्रेता का निर्णय कि विक्रेता द्वारा इस समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, बोली लगाने वाले पर अंतिम और निर्णायक होगा। तथापि, विक्रेता इस समझौते के प्रयोजनों के लिए नियुक्त मॉनिटर से संपर्क कर सकता है।
8. पतन खंड
- 8.1 विक्रेता यह वचन देता है कि यदि छत्तीसगढ़ सरकार या पीएसयू के किसी अन्य विभाग के संबंध में वर्तमान बोली में प्रस्तावित मूल्य से कम कीमत पर समान उत्पाद/प्रणालियों या उप-प्रणालियों की आपूर्ति नहीं की है/नहीं कर रहा है और यदि यह किसी भी स्तर पर पाया जाता है कि इसी तरह के उत्पाद/प्रणालियों या उप-प्रणालियों की आपूर्ति विक्रेता द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के किसी अन्य विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को कम कीमत पर की गई थी, तो वही कीमत, बीते हुए समय के लिए देय छूट के साथ, वर्तमान मामले पर लागू होगी और यदि अनुबंध पहले ही समाप्त हो गया है, तो लागत में अंतर विक्रेता द्वारा खरीदार को वापस कर दिया जाएगा।
9. स्वतंत्र मॉनिटर
- 9.1 खरीदार इस समझौते के लिए स्वतंत्र मॉनिटर (इसके बाद मॉनिटर के रूप में संदर्भित) नियुक्त करेगा।
- 9.2 मॉनिटर्स का काम स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से समीक्षा करना होगा कि पार्टियां इस संधि के तहत दायित्वों का पालन करती हैं या नहीं और किस हद तक।
- 9.3 मॉनिटर पार्टियों के प्रतिनिधियों के निर्देशों के अधीन नहीं होंगे और अपने कार्यों को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से निष्पादित करेंगे।
- 9.4 दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं कि मॉनिटर्स को बैठक के कार्यवृत्त सहित परियोजना/खरीद से संबंधित सभी दस्तावेजों तक पहुंचने का अधिकार है। विक्रेता/उपठेकेदारों की जानकारी और दस्तावेजों को गोपनीय रखने के लिए मॉनिटर संविदात्मक दायित्व के अधीन होगा।
- जैसे ही मॉनिटर नोटिस करता है या विश्वास करने का कारण है, इस समझौते का उल्लंघन करता है, वह खरीदार द्वारा नामित प्राधिकरण को सूचित करेगा।

(निविदाकार द्वारा लेटर हेड पर भरा जाना है)

निविदा सूचना क्रमांक—199829/DMSKM/P-O-/BALOD

दिनांक—06 / 10 / 2026

सत्यनिष्ठ वचन

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही और सत्य है जिनके गलत पाये जाने पर कारखाना प्रबंधन द्वारा किसी भी स्तर पर निविदा/कार्य आदेश निरस्त कर सकती है एवं मैं/फर्म का नाम छत्तीसगढ़ के किसी भी शक्कर कारखाने के ब्लेक लिस्ट (काली सूची) में नहीं है। उक्त जानकारी गलत होने पर कारखाना प्रबंधन को मुझे/फर्म को निविदा से अपात्र करने का अधिकार होगा। शक्कर कारखाना द्वारा निर्धारित नियम/शर्त/प्रक्रियाओं को पढ़ और समझ लिया है जो मुझे मान्य है।

दिनांक

निविदाकार का हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

.....
फर्म का मुहर

दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद (छ.ग.)
1250 टीडीएस शक्कर कारखाना के लिए विभिन्न रिपेयरिंग/मैटेनेंस
एवं एएमसी कार्यों आदि हेतु द्वितीय ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

भाग-III वाणिज्यिक भाग (भाग-सी)

प्रबंध संचालक,
DMSSKM – बालोद
जिला बालोद (छ.ग.)

भाग – III वाणिज्यिक भाग (भाग-सी)

(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त दस्तावेज संलग्न करें)

निविदा सूचना क्रमांक-199829/DMSSKM/PO/Balod

दिनांक-06 / 10 / 2026

निविदा दस्तावेज संख्या –

- 1.1 निविदाकार का विवरण.....
- 1.2 संगठन का नाम और स्थान.....
- 1.3 मालिक / मालिक का नाम.....
- 1.4 कार्यालय का पता –.....
- 1.5 टेलीफोन नंबर
- 1.6 ईमेल
- 1.7 संपर्क व्यक्ति का पता-:.....

निविदाकार का हस्ताक्षर मोहर के साथ

Repairing & Maintanance Work Description

S.No.	Department	SOR	Year	Itam Code	Description/Specification of Repairing & Maintanance Work	Unit	Rate	Qty Req.	Amount
1	DMSSK	NS	2026	2S2	AVR cum excitation control panel Generator - rating 3000KW, 415V, 50HZ, 3Phase, Excitation voltage - 150V DC, Current - 5A DC, (AVR Panel -2 nos, Excitation control panel-1 no.) Make - SANELEC Excitation system pvt. Ltd.Spare parts replacement done by supplier, Payment will be made on Company Price List. Make-OEM /Autherised Dealer/Jyoti Power Engineer's Autherised Dealer.	SET		3	
2	DMSSK	NS	2026	2S3	T.G. control panel / ACB panels (Make- Contronics Switchgear Pvt. Ltd) (L&T ACB 3P 4000A- 2 nos, 1000A- 1no) (Relay, Make AREVA - 10 nos) Spare parts replacement done by you, Payment will be made on Company Price List.Spare parts replacement done by supplier, Payment will be made on Company Price List. Make-OEM /Autherised Dealer/Jyoti Power Engineer's Autherised Dealer.	SET		1	
3	DMSSK	NS	2026	2S4	DG set Make- GREAVES, (Type - TBD 2V12 MK.11, 320 KVA - 2 no) (Rate quated by supplier must be servicing done by GRAVES autherised senior service Engineer) (with spares parts) Spare parts replacement done by supplier , Payment will be made on Company Price List. Make-OEM/ Experienced contractor. (03 year Exp. in sugar factory)	SET		2	
4	DMSSK	NS	2026	2S5	ABB/ Powerforma Make DC mill panel (DCS 800-SO2-820-5) - 4 nos Batch type C/F machine's panel (DCS 800-SO2-520-5) - 2 nos. and ID Motor VFD pannel CANE CARRIER Motor VFD pannel each one (Rate quated by supplier must be servicing done by ABB/Powerformers senior service Engineer) Spare parts replacement done by supplier ,Payment will be made on Company Price List. Make--OEM /Autherised Dealer/Jyoti Power Engineer's Autherised Dealer.	SET		8	
5	DMSSK	NS	2026	2S6	Alternator 3 phase50 hz of KVA3750 KW3000 RPM 1500 PF0.8 Lag starter voll 420, starter amp 5155 A EXT VOL -89 EXT AMP- 397 MAKE BHEL BHOPAL. Make-OEM/ Jyoti Power Engineer's Autherised Dealer	SET		1	

6	DMSSK	NS	2026	2S9	Servicing of Mill lubricating oil pump 18 points, Model-LUBE-D Make MICRO PRECISION (Rate quoted by supplier must be servicing done by Microprecision senior service Engineer) Spare parts replacement done by supplier, Payment will be made on Company Price List. Make-OEM/ Experienced contractor. (02 year exp in sugar factory)	SET		4	
7	DMSSK	NS	2026	2S10	Dynamic Balancing of Fibrizer, ID, FD, SA fan & blower , Centrifugal machine . Make-OEM/ Experienced contractor. (03 year exp in sugar factory)	NO		18	
8	DMSSK	NS	2026	2S11	Filling of Nitrogen Gas Cylinder of Mill House Max. Press.-330bar cap.-37 Ltrs. Working press.-170bar . Make-Experienced contractor. (01 year exp in sugar factory)	NO		8	
9	DMSSK	NS	2026	2S13	Air Compressor for Centrifugal Machine Model No.-TC-100 Bore-152.4mm Rpm-650 Press.-7kg/cm2 Sl.No.-PEC003453 (Rate quoted by supplier must be servicing done by Kirloskar pneumatic Co.Ltd. senior service Engineer). Make--Experience contractor (03 year exp in sugar plant)	NO		2	
10	DMSSK	NS	2026	2S14	Dismantalling, Fitting & Comissioning of pipe line with Bends, Flange & Valve Rate of pipe (Including with flange, bend & valve as per requirement) rate to be quoted by contractor per feet length.(In Length of Pipe Line Included Bends, Valve, Flange, in Line Length) (Pipe Line, Bend, Valve, Flange will be provide by Factory) (Welding electrode, welding machine, Gas cutter, Chain block & man power will be provide by Contractor. (1" to 12" Dia). Make-Experience contractor (02 year exp in sugar plant)	NO		1	
11	DMSSK	NS	2026	2S15	IBR pipe line valve and other IBR welding work with Size 1/2" to 6"Dia.(Job work as per Instructed by Boiler Engineer). Make-Experience contractor (02 year exp in sugar plant)	NO		1	
12	DMSSK	NS	2026	2S16	Ultrasonic thickness test of fibrizer shaft ,mill shaft, centrifugal machine shaft. Make-Autherised contractor. (03 year exp in sugar factory)	NO		1	
13	DMSSK	NS	2026	2S17	SS Tube removing & fitting work at size ID-42mm OD-45 mm length 4505mm in semikesner & Length 2005 mm Evaporator body & Length 4005 mm of juice heater & Dia 90 & Length 755 mm of Pan Rate to be quotated per tube by Contractor. Make-Experience contractor (02 year exp in sugar plant)	NO		1	

14	DMSSK	NS	2026	2S18	Servicing of FHE Make hydraulic grabs. Make-Autherised Contractor/ Two year work experience of work Servicing of FHE Make hydraulic grabs work experience in sugar factory	SET		2	
15	DMSSK	NS	2026	2S19	Re-conditioning (welded & Grinding/Machining) Shape of Mill Crown Pinion Teeth. (As per Drg. No- A2-M-37135...). Make-Autherised Contractor	NO		1	
16	DMSSK	NS	2026	2S20	Corrugated Asbestos Cement Sheet (Size-Lenth 10 Feet and Width 1060 mm) Thickness-08mm (Old Sheet Dismantling/Shifting & New Sheet Fiting Work) With Material. Make-Charminar/ Birla & Two year work experience	NO		300	
17	DMSSK	NS	2026	2S21	MMC (Monthly maintainance contract) Servicing &Operation of online monitoring system of ETP & Boiler Stack for crushing season 2026-27 Servicing work of online system of ETP & Boiler stack in your scope (Servicing work will be by DNP Service engineer)online system is installed by DNP Surat therefore Servicing work will be completed by DNP Service Engineer. Spare parts payment will be provided by sugar factory. Note- Contractor should be registered with CPCB for online countinuous monitoning system data transfer. Make-Company Approved by CPCB & Contractor should have minimum two years experiance in co-operative sugar factories in C.G. state	Per Month		1	

18	DMSSK	NS	2026	2S22	MMC (Monthly Maintenance Contract Service) Servicing & Operation of System and Operation in season 2026-27 of Capacity 500KL/D for Operation of routine precautionary Maintenance of Effluent Treatment Plant (ETP) WITH The following Term & Conditions:- 1. Work of consultancy for compliance and other corresponding under Water prevention and control of pollution, act 1974 & Air prevention and control of pollution Act 1981 in your scope. 2- Contractor company will provide ETP Incharge ETP Operator as per requirement employee person should be skilled. 3-Your job is only for season 2026-27 (Before one month & after one month of plant start) 4-Company should have experience of online monitoring system 5- Company to take care of the environment consultancy related to state pollution control board as well as central pollution board. 6- Contractor should have minimum two years experience in co-operative sugar factories in C.G. state for operation of 500M³/Day Capacity Effluent Treatment plant with online Monitoring System by achieving prescribed parameter of CPCB and CECB. 7- Company have maintain the parameter of E.T.P. discharge as BOD, COD, pH, TDS, TSS, DO, etc. prescribed by CPCB in operation of During season. Make-Company Approved by CPCB	Per Month		1	
19	DMSSK	NS	2026	2S23	Replacement of Air Heater Tube [63.5 mm OD 3.25 mm Length 4020mm] material BS6323 Part-5 ERW-2 GKM-1982 Annealed. Air Heater Tube inside and outside cleaning is in your scope. Permission of Boiler inspector is in your scope with certificate of material. (as per drawing No AO-BLR-47947): Air Heater old and damaged tube removing & new tube to be fitting consumable items with air heater tubes trial & testing in your scope. Make-Two year Experience of IBR contractor air heater & similar work.	EACH		1	

20	DMSSK	NS	2026	2S24	Replacement of Air Heater Tube [63.5 mm OD 3.25 mm Length 4020mm] material BS6323 Part-5 ERW-2 GKM-1982 Annealed. Air Heater Tube inside and outside cleaning is in your scope. Permission of Boiler inspector is in your scope with certificate of material. (as per drawing No AO-BLR-47947): Air heater Old & damaged tube removing new tubes to be fitting consumable items (Without air heater tubes) testing & trial in your scope. Make-Two year Experience of IBR contractor air heater & similer work.	EACH		1	
21	DMSSK	NS	2026	S25	AMC of DM Plant Cap.-10m3/Hr. Make- 1 year experience in DM Plant	NO		1	